...लय श्री सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

...वाद संख्या:– 144/2019

...गण:–

1. सालमसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
2. ओंकारसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
3. शेरसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह
4. भवानीसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह
5. छत्रसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम भीमसागर
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

...तिवादीगण:–

1. मदनसिंह पुत्र श्री अलीदाससिंह फौत के कायम मुकाम
   1/1 भंवरसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
   1/2 ज्ञानसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
   1/3 गुमानसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
   1/4 राजूसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
   1/5 गायड़सिंह पुत्र श्री मदनसिंह
   1/6 मूलसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
   1/7 सत्यवीरसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
2. खिंवसिंह पुत्र श्री अलीदाससिंह
3. सुमेरसिंह पुत्र श्री अलीदाससिंह
4. उदयसिंह पुत्र श्री अलीदाससिंह
5. डुंगरसिंह पुत्र श्री अलीदाससिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह
7. सबलसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह
8. अखेसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह
9. भोमसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह
10. भंवरकंवर पत्नी श्री गोरधनसिंह
11. महावीरसिंह पुत्र श्री रिडमलसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

12. जसवन्तसिंह पुत्र श्री रिड़मलसिंह

13. दौलसिंह पुत्र श्री रिड़मलसिंह

14. स्वरूपकंवर पत्नी श्री रिड़मलसिंह

15. तेजकंवर पत्नी श्री डुंगरसिंह

16. चन्द्रकंवर पत्नी श्री भैरूसिंह फौत के कायम मुकाम

16/1 इन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

16/2 धोकलसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

16/3 मेघसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

16/4 रामसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

16/5 भगवतसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम भीमसागर

तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

17. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

वादीगण – अधिवक्ता श्री नैनूराम विश्नोई

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।

–::निर्णय::–

दिनांकः–10.12.19

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियां के ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 312 रकबा 74 बीघा 13 बिस्वा, भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के हक अधिकार व कब्जा काश्त की आई हुई है। उपरोक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीगण के पिता दादा जीवराजसिंह का 1/5 हिस्सा है जिसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार है तथा वादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है [illegible] भूमि में वादीगण का नाम दर्ज हो गया परन्तु [illegible] करने से रह गया वादीगण अपने हक हिस्से [illegible] पर कब्जा काश्त कदीमी चला आ रहा है अपने हिस्से पर रहवासीय ढाणीयां [illegible] आदि बना हुआ है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी, [illegible]

Scanned by CamScanner

06.06.2018 को न्याय आपके द्वार केम्प भीमसागर में वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु प्रार्थना पत्र के आधार पर खातेदारी की घोषणा किया जाना सम्भव नहीं होने से प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया तत्पश्चात् वादीगण द्वारा घोषणा का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है वादीगण द्वारा वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 06.06.2018 को होना बताया अन्त में वादीगण द्वारा ईस्तदुआ चाही कि वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियां के राजस्व ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 312 रकबा 74 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा घोषित किया जावें। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया तथा वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा तथा जवाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया तथा वाद पत्र के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की ईस्तदुआ चाही।

वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा ईकबाली जबाब दावा पेश करने पर पत्रावली का साक्ष्य वादी में मुकर्रर रखा गया वादीगण की ओर से गवाह पी डब्ल्यु 01 सालमसिंह का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं करना चाहा तथा वादी ने मुख्य परीक्षण में वर्णित बयानों का स्वीकार किया वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 01 से 05 तक करवाए गए। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा जिस पर पत्रावली बहस अन्तिम में रखी गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई वादीगण द्वारा अपने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों द्वारा धारित पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का नाम अपने पिता के देहान्त के पश्चात् दर्ज नहीं किया गया तथा अन्य भूमि में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया। इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जावें तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं कर वादीगण के वाद पत्र [illegible] करने के अभिकथन कहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अभि[illegible] पत्र में एक ही विवाद्यक कायम किया जाता है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण 1/5 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उक्त विवाद्यक को तय करने के लिए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी खसरा संख्या 801/13, 519, 121, 100, 847 का अवलोकन किया गया जिसमें भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि जीवराजसिंह के देहान्त के पश्चात् वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम जीवराजसिंह के देहान्त के पश्चात् दर्ज नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पैतृक नहीं होने बाबत् कोई एतराज नहीं किया गया है लिहाजा उक्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कब्जा प्रतिवादीगण के स्वीकार किया गया है।

अतः वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं होने से वादीगण का वादपत्र उपरोकत विवेचन के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियां के राजस्व ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 312 रकबा 74 बीघा 13 बिस्वा भूमि में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना बाबत् तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 10/12/2019 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास **श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
लमसिंह पुत्र दुर्गसिंह ओंकारसिंह पुत्र दुर्गसिंह रसिंह पुत्र जिवराजसिंह वानीसिंह पुत्र जीवराजसिंह त्रसिंह पुत्र जीवराजसिंह सभी जाति राजपूत निवासी भीमसागर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		1. मदनसिंह पुत्र अलीदाससिंह फौत के कायम मुकाम 1/1 भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह 1/2 ज्ञानसिंह पुत्र मदनसिंह 1/3 गुमानसिंह पुत्र मदनसिंह 1/4 राजुसिंह पुत्र मदनसिंह 1/5 गायड़सिंह पुत्र मदनसिंह 1/6 मूलसिंह पुत्र मदनसिंह 1/7 सत्यवीरसिंह पुत्र मदनसिंह 2. खिवसिंह पुत्र अलीदाससिंह 3. सुमेरसिंह पुत्र अलीदाससिंह 4. उदयसिंह पुत्र अलीदाससिंह 5. डुंगरसिंह पुत्र अलीदाससिंह 6. प्रेमसिंह पुत्र गोरधनसिंह 7. सबलसिंह पुत्र गोरधनसिंह 8. अखेसिंह पुत्र गोरधनसिंह 9. भोमसिंह पुत्र गोरधनसिंह 10. भंवरकंवर पत्नी गोरधनसिंह 11. महावीरसिंह पुत्र रिडमलसिंह 12. जसवन्तसिंह पुत्र रिडमलसिंह 13. दौलतसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 14. स्वरूपकंवर पत्नी रिड़मलसिंह 15. तेजकंवर पत्नी डुंगरसिंह 16. चन्द्रकंवर पत्नी भैरूसिंह फौत 16/1 इन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह 16/2 धोकलसिंह पुत्र भैरूसिंह 16/3 मेघसिंह पुत्र भैरूसिंह 16/4 रामसिंह पुत्र भैरूसिंह 16/5 भगवतसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी भीमसागर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। 17. तहसीलदार ओसियां

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 144/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकारान बहाजरी श्री नेनुराम विश्नोई एडवोकेट मिनजानिब मुदई, प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामकिशोर ओझा अधिवक्ता, मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 312 रकबा 74 बीघा 13 बिस्वा मौजा भीमसागर तहसील ओसियां में 1/5 हिस्से [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार अंतिम डिक्री जारी की ज[illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

.... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.............................. मुबलिग.............................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.............................. निज.............................. [illegible] अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.............................. को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner